भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 1972/अग्रहायण 3, 1894

No. 260] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 1972/AGRAHAYANA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November 1972

No. F. 5(12)-W&M/72.—Subscriptions for the issues of 5 per cent. Loan 1984 and 5¼ per cent Loan, 1988 will be received from the 1st of December, 1972. Subscriptions will be in the form of cash and the issues will be closed without notice, as soon as it appears that the total subscriptions to both the loans together amount approximately to Rs 100 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 4th of December 1972. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 100 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 110.00 crores (Nominal), partial allotment will be made in respect of the loans on a proportionate basis. If partial allotment is made the excess subscriptions

will be refunded as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

5 PER CENT LOAN, 1984 ISSUED AT RS. 99.50 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 1ST JUNE 1984

3. **Date of repayment:**—The Loan will be repaid at par on the 1st of June 1984.

4. **Issue Price:**—The issue price will be Rs. 99.50 for every Rs. 100 (Nominal) of the Loan applied for.

5. **Interest:**—The Loan will bear interest at the rate of 5 per cent per annum from 1st December 1972. Interest will be paid half yearly on the 1st June and 1st December. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 10 and 11 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5-1/4 PER CENT LOAN, 1988 ISSUED AT RS. 99.50 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 1ST JUNE 1988

6. **Date of repayment:**—The Loan will be repaid at par on the 1st of June 1988.

7. **Issue Price:**—The issue price will be Rs. 99.50 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

8. **Interest:**—The Loan will bear interest at the rate of 5¼ per cent per annum from the 1st December 1972. Interest will be paid half yearly on the 1st June and 1st December. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 10 and 11 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

9. **Place of payment of interest:**—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any treasury or sub-treasury elsewhere in India, except for the State of Jammu & Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

10. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loans who are not liable to tax or who are liable to tax at a rate lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

11. Interest on the Loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

12. The value of investments in the Loans now issued to gether with the value of other previous investments in Government securities and other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax up to Rs. 1,50,000.

13. The securities will be issued in the form of:—

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock-certificates, or
(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

14. Applications for the Loans:—Applications for the Loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

15. Applications will be received at:—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna;

(b) branches of the subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government treasury work except at Hyderabad; and

(c) branches of the State Bank of India at other places in India.

16. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

17. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the Bank concerned.

18. Brokerage will be paid at the rate of 6 paisa per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the Loans tendered by them and bearing their stamps.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the Paying Offices within six months from the date of floatation of the loans.

By order of the President,

B. MAITHREYAN,

Joint Secretary to the Government of India.

FORM OF APPLICATION

I/We.....

(Full name(s) in Block letters)

.....herewith tender *Cash Rs.

.....**Cheque for Rs.....

and request that securities of 5 per cent Loan 1984*/5¼ per cent Loan 1988* for the nominal value of Rs. may be issued to me/us in the form or Promissory Note(s)‡ interest to be payable at.....

Stock Certificate

Signature

Name in full

(Block letters)

.....

.....

.....

Address

.....

Dated the of December 1972.

NOTE: (1) Separate application should be made for each Loan and each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the Loan required.

(2) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(3) If the application is made in the name of a regisered body, the undernoted documents, if not, already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Registration/Incorporation.

(ii) Memorandum and Articles of Association or a certified copy of the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

*Delete what is not required.

‡Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs 500, Rs 1,000, Rs. 5,000 Rs. 10,000 Rs. 25,000, Rs. 50,0000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denominations required.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 नवम्बर 1972

सं.या एफ० 5(12)—डब्लू एण्ड एम/72.—5 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1984 और 5½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1988 के निर्गमों के लिए पहली दिसम्बर, 1972 से अभिदान लिये जाएंगे अभिदान नकदी के रूप में लिये जाएंगे और ज्यों ही यह जान पड़ेगा कि इन दोनों ऋणों के अभिदानों की कुल रकम लगभग 100 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) हो चुकी है, त्यों ही निर्गम, बिना किसी सूचना के, बन्द कर दिये जाएंगे और हर हालत में ये निर्गम 4 दिसम्बर, 1972 को काम बन्द होने के समय अवश्य बन्द हो जाएंगे। सरकार को 100 करोड़ रुपये की रकम से ऊपर 10 प्रतिशत तक अभिदान की रकम रख लेने का अधिकार होगा।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों के अभिदानों की कुल रकम 110 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से बढ़ जाए, तो इन ऋणों के सम्बन्ध में आनुपातिक आधार पर आबंटन किया जाएगा। यदि आंशिक आबंटन किया जाएगा तो आबंटन के बाद, अभिदान की रकम में प्राप्त अतिरिक्त रकम शीघ्र वापस कर दी जाएगी। इस प्रकार वापस की गयी रकमों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

99.50 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और पहली जून, 1984 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 5 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1984

3. **वापसी की तारीख**—यह ऋण पहली जून, 1984 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।

4. **निर्गम मूल्य**—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिए 99.50 रुपये होगा।

5. **ब्याज**—इस ऋण पर पहली दिसम्बर, 1972 से 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ब्याज की रकम हर साल पहली जून और पहली दिसम्बर, को छमाही किस्तों में अदा की जाएगी। नीचे दिये गये पैरा 10 और 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

99.5 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और पहली जून, 1988 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 5½ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1988

6. **वापसी की तारीख**—यह ऋण पहली जून, 1988 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।

7. निर्गम मूल्य—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक 100 रुपये (अंकित मूल्य) के लिये 99.50 रुपये होगा ।

8 ब्याज—इस ऋण पर पहली दिसम्बर, 1972 से 5½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा । ब्याज की रकम, हर साल पहली जून और पहली दिसम्बर को छमाही किस्तों में अदा की जाएगी । नीचे दिये गये 10 और 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा ।

अनुपूरक उपबन्ध

9. ब्याज की अदायगी का स्थान—इस ऋण का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, कानपुर, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर भारत में अन्यत्र किसी राजकोष या उपराजकोष में तथा जम्मू और श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के बैंक और लेखा कार्यालयों में चुकाया जायेगा ।

10 ब्याज की अदायगी के समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) काटी गयी कर की रकम की वापसी, ऋण देने वाले वे व्यक्ति ले सकेंगे जिन पर कर न लगता हो या जिन पर उस दर से कम दर पर कर लगता हो, जिस के अनुसार कर काटा गया है ।

ऋण देने वाला वह व्यक्ति जिस पर कर न लगता हो अथवा जिस पर निर्धारित दर से कम दर के अनुसार कर लगता हो, अपने जिले के आयकर अधिकारी को आवेदनपत्र देकर उससे ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा जिसके अनुसार उसे ब्याज की रकम, कर की रकम काटे बिना, या उस कम दर के अनुसार कर की रकम काटने के बाद मिल सकेगी जो उस पर लागू होती है ।

11. अन्य पिछली सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज सहित इस समय आमंत्रित सभी ऋणों पर मिलने वाले ब्याज पर तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से होने वाली आय पर आयकर नहीं लगेगा किन्तु इस तरह की कर-मुक्त आय की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 3000 रुपया होगी और इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (ठ) के उपबन्ध भी लागू होंगे ।

12. सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये पिछले निवेशों के मूल्य सहित इस समय आमंत्रित ऋणों में किये जाने वाले निवेशों का मूल्य और धन कर अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित अन्य निवेश भी 1,50,000 रुपये तक धन कर से मुक्त रहेंगे ।

13 ये प्रतिभूतिया निम्नलिखित रूपो मे जारी की जाएगी --

(i) स्टाक, जिसके लिए आवेदन करने वालो को स्टाक-प्रमाणपत्र दिये जाए अथवा

(ii) वचन-पत्र (प्रामिसरी नोट)

यदि आवेदक अपनी पसन्द जाहिर न करेगे तो प्रतिभूतिया वचन-पत्रो के रूप मे जारी की जाएगी ।

14 ऋण के लिए आवेदन-पत्र --ऋण के सम्बन्ध मे आवेदन-पत्र अनिवार्यत सौ रुपये या उसके गुणाको के लिए दिये जाने चाहिए ।

15. ऋण के लिए आवेदन-पत्र निम्नलिखित स्थानो पर लिये जाएगे --

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बगलौर, बम्बई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना स्थित कार्यालय;

(ख) हैदराबाद शाखा को छोडकर, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बको की वे शाखाए जो सरकारी राजकोष का कार्य करती हो, और

(ग) भारत मे अन्य स्थानो पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाए ।

16. आवेदन इस अधिसूचना के साथ सलग्न प्रपत्र (ार्म) के रूप मे हो या किसी ऐसे अन्य रूप मे हो जिसमे मांगी गयी प्रतिभूतियो की रकम और उनका विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया हो, जहा से वह ब्याज की रकम लेना चाहता हो ।

17 आवेदन-पत्रो के साथ आवश्यक रकम नकद या चैक के रूप मे भेजी जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंको मे दिये जाने वाले चैक सम्बद्ध बैंक के नाम होने चाहिए ।

18. मान्यता प्राप्त बैंको और दलालो को ऋण के लिए दिये गये उन आवेदन-पत्रो के सम्बन्ध मे, जिन पर उनकी मुहर हो, किये गये आवटनो पर 6 पैसे प्रति 100 रुपये (अकित मूल्य) की दर से दलाली दी जायेगी

दलाली की रकम की अदायगी के दावे, ऋणो के जारी किए जाने की तारीख से छ महीने के अन्दर-अन्दर भुगतान कार्यालयो मे प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए ।

राष्ट्रपति के आदेश से

बी० मैत्रेयन,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आवेदन-पत्र

मैं/हम———————————————————————

(पूरा/पूरे नाम साफ अक्षरों में)

———————————इसके साथ———————————————

———————————————रुपये नकद*———————————रुपये का चैक पेश करता हूं/ करते है, और प्रार्थना करता हूं/करते है कि मुझे/हमें 5 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1984*/ $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1988* की ———————————रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां, स्टाक पत्र (पत्रों)/वचन-पत्र (पत्रों)** के रूप में जारी की जाएं जिनका ब्याज ———————पर देय हो ।

हस्ताक्षर ———————————

पूरा नाम———————————

(साफ अक्षरों में)

दिनांक ———————दिसम्बर, 1972 ———————————

———————————

पता———— ———————————

———————————

टिप्पण 1. अपेक्षित नये ऋण के हर तरह के अभिदान और हर तरह के प्रतिभूति-पत्र (स्टाक पत्र या वचन-पत्र) के लिये अलग-अलग आवेदन पत्र दिये जाने चाहिये ।

2. यदि आवेदक ने हस्ताक्षर के रूप में अगूंठे का निशान लगया हो, तो उस पर दो गवाहो की तसदीक होनी चाहिये । गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ, उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाने चाहिये ।

3. यदि आवेदन-पत्र किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सस्था के नाम मे दिया जाए तो निवेश संबंधी आवेदन-पत्र के साथ नीचे लिखे दस्तावेज, यदि वे सरकारी ऋण कार्यालय मे पहले से पंजीकृत न हों, लगा दिये जाने चाहिये :—

(i) पंजीकरण/निगमन का प्रमाणपत्र ।

(ii) निकाय/कम्पनी की बहिर्नियमावली और अंतर्नियमावली या नियमों तथा विनियमों/उपविधियों की प्रमाणित प्रति;

(iii) निकाय/कम्पनी की ओर से सरकारी प्रतिभूतियो का कारबार करने के लिये प्राधिकृत किये गये व्यक्ति के हक में जारी किये गए सकल्प की प्रमाणित प्रति ।

*जो आवश्यक न हो काट उसे काट दिया जाए ।

** वचन-पत्र 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये के मूल्य वर्गों के जारी किये जाएंगे । यहां पर उन खास मूल्य-वर्गों का उल्लेख किया जाए, जिनकी आवश्यकता हो ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972